न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

RRCMS NO.-202604119600030

मिसल नम्बर–55/2025

1.गणेशराम पुत्र बूचीलाल आयु 80 वर्ष जाति खटीक निवासी कुन्हाड़ी कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 179 ए केशवपुरा टीचर्स कॉलोनी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 29/5/26

उपस्थितिः–

1.श्री घनश्याम नागर, अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है जिसके कब्जे एवं खातेदारी की ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 174 रकबा 1.61 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है इस वर्ष भी प्रार्थी ने काश्त की जो पक जाने पर प्रार्थी द्वारा काटली गयी और हाक जोतकर बरसात के इंतजार में है। बरसात होते ही प्रार्थी नई फसल करेगा। प्रार्थी की आराजी नगर निगम सीमा में स्थित होने से आये दिन भूमाफिया लोग परेशान करते है, इस कारण प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खाली होने से पैमाईश करवायी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 1.61 हैक्टर आराजी की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करे एवं अन्य न्यायोचित सहयता भी प्रार्थी को प्रदान करे।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भीमपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे एवं पत्थरगढ़ी के दौराने निम्न बिन्दु अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे–

1 प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सभी पक्षकारों की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे।

2 यदि कोई भी कदीमी/प्रचलित या स्थायी रास्ता प्रचलन में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।

3 यदि कोई धोरा या जलनिकासी का मार्ग हस्तगत आराजी में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।

4 यदि मौके पर भूमि कम है तो पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

5 यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो पत्थगढी की कार्यवाही नही करते हुये पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज दिंनाक: 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा